भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3857

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कम लागत वाली जैव कृषि

3857. श्री हनुमान बैनिवालः

श्री इंद्रा हांग सुब्बाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में वार्षिक उत्पादन किए गए जैविक उत्पादों की कुल मात्रा के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) जैव कृषि को बढ़ावा देने और कम लागत वाली जैव कृषि का पालन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार जैव कृषि करने वाले किसानों को राजसहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं और किसानों को किस प्रकार राजसहायता प्रदान की जाती है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) की ट्रेसनेट रिपोर्ट के अनुसार 7,894,757.82 मीट्रिक टन का जैविक उत्पादन रिकार्ड किया गया है। इसी प्रकार भागीदारी प्रतिभूति प्रणाली (पीजीएस) के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के दौरान 213067.72 मीट्रिक टन का जैविक उत्पादन रिकार्ड किया गया है।

(ख) से (ड.): भारत सरकार वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म आदान उत्पादन/खरीद, फसलोपरांत आधारभूत सुविधाओं, विपणन आदि के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। एक समूह के भीतर किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लाभ उठा सकते हैं और सहायता की सीमा प्रति हैक्टर 50,000 रुपये/3 वर्ष है जिसमें से प्रोत्साहन राशि के रूप में 31,000 रुपये (61प्रतिशत) डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को प्रदान किए जाते हैं। पीकेवीवाई किसान सहकर्मी समीक्षाओं के माध्यम से प्रमाणीकरण भागीदारी प्रतिभूति प्रणाली (पीजीएस) अपनाते हैं।

एमओवीसीडीएनईआर का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को मुख्य जैविक फसलों के निर्यात के लिए तैयार तृतीय पक्ष प्रमाणित हब का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के निर्माण से लेकर ऑन/ऑफ फार्म आदान उत्पादन, बीजों/रोपण सामग्रियों की आपूर्ति, फसलोपरांत आधारभूत सुविधा सहित एकत्रीकरण, छंटाई, ग्रेडिंग सुविधाओं, एकीकृत प्रसंस्करण ईकाई, प्रशीतित परिवहन, पूर्व-शीतलन/शीतागार चैम्बर की स्थापना, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग आदि तक मूल्य श्रृंखला मोड में किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

*****